मंडल कार्यालय आदेश - 11/2024

पत्र स.-393-W/M-/Instruction /0/Vol-III

मंडल कार्यालय
उत्तर- पश्चिम रेलवे, जोधपुर
दिनांक :-02.05.2024

मुख्य लोको निरीक्षक (सीसीसी),
समस्त मुख्य लोको निरीक्षक (ओपन लाइन)
मुख्य लोको निरीक्षक(आर डी आई)
जोधपुर, मेड़ता रोड एवं फलौदी

विषय :- ईंधन (HSD) लोको में भरने व भरवाने एवं सही मात्रा इन्द्राज करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश।

उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि निरिक्षण के दौरान यह पाया गया है कि किसी लोको में फ्यूल ट्रिप कार्ड उपलब्ध नहीं है, किसी में लोको पायलट व फ्यूल जारीकर्ता द्वारा बगैर फ्यूल मात्रा/डाटा भरे हुये या फ्यूल ट्रिप कार्ड फटा हुआ पाया गया है। डीजल (HSD) ईंधन के महत्व व रेल राजस्व को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये एवं दिनांक 03.05.2024 से 17.05.2024 तक 15 दिन के लिये विशेष काउन्सलिंग अभियान चलाकर अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 18.05.2024 तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाये।

लोको पायलट हेतु :-

1. समस्त लोको पायलट लोको का चार्ज लेते समय फ्यूल ट्रिप कार्ड व मरम्मत पुस्तिका का सही स्थिति में होना सुनिश्चित करें। (फटा हुआ/पूर्ण भरा हुआ ना होना)
2. लोको में फुएलिंग करवाने की ड्यूटी आने वाले लोको पायलट की होगी, यदपि terminating गाड़ियों में फुएलिंग करवाने का बाद का प्लान है या फुएलिंग शुरू होने में अधिक समय लगने की संभावना है, तो आने वाला लोको पायलट ऑन ड्यूटी इंडोर क्रू नियंत्रक से बात करके, प्राप्त निर्देशों के अनुसार साइनिंग ऑफ कर सकता है लेकिन उस लोको में फुएलिंग ऑन ड्यूटी यार्ड शंटर की मोजुदगी में करवाना है।
3. लोको में HSD ईंधन भरवाने के बाद लोको पायलट द्वारा इंजन के फ्यूल टैंक में छोड़ी गयी HSD की मात्रा, तेल की भरी गयी मात्रा एवं कुल तेल की मात्रा लिखकर आरडीआई स्टाफ की फ्यूल वितरण डायरी व लोको के फ्यूल ट्रिप कार्ड/लोग बुक में आरडीआई स्टाफ एवं लोको पायलट दोनों ही हस्ताक्षर कर इसको प्रमाणित करना सुनिश्चित करें।
4. लोको पायलट लोको का चार्ज देते समय एवं लेते समय वास्तविक फ्यूल की मात्रा ही इंद्राज करें। HSD ईंधन की मात्रा में किसी प्रकार का विवाद होने पर लोको पायलट तुरंत सम्बंधित मुख्य लोको निरीक्षक, आरडीआई जोधपुर व फलौदी से संपर्क करें।
5. TFM RDI के प्रकरण में उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त फुएलिंग उपरांत प्राप्त होने वाली फ्यूल स्लिप में सभी मदों को चेक **(दिनांक, समय, ट्रेन नंबर, लोको नंबर, लोको का शेड, लोको पायलट का नाम एवं जारी की गयी HSD की मात्रा)** करने के उपरांत ही अपने हस्ताक्षर कर प्रमाणित करें, यदि कोई कमी पाई जाती है तो सही उसमे आवश्यक सुधार कर अपने हस्ताक्षर करें।
6. आपके द्वारा ट्रिप के प्रारंभ में फ्यूल टैंक में ली गयी HSD की मात्रा, ट्रिप के अंत में टैंक में छोड़ी गयी मात्रा एवं कुल खपत का विवरण आवश्यक रूप से साइनिंग ऑफ होते वक़्त CMS में इंद्राज करेंगे।
7. मुख्यालय लौटने पर अभी तक की गयी पूर्ण ट्रिप्स के गाड़ी के विवरण के भरे हुये CTR (डीजल/इलेक्ट्रिक लोको) आवश्यक रूप से लॉबी में निर्धारित बॉक्स में ड्राप करें।

आर डी आई स्टाफ हेतु :-

1. पूर्व निर्धारित गाड़ियाँ मेल एक्सप्रेस/सवारी के लोको में फुएलिंग करने वाला आरडीआई स्टाफ गाड़ी के आगमन से पूर्व फ्यूल पॉइंट पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
2. फुएलिंग करते समय HSD आयल का लीकेज/ बर्बाद न होने दें।

3. फुएलिंग कार्य पूर्ण होने पर आरडीआई स्टाफ द्वारा स्वयं की फ्यूल इशू डायरी व लोको की लोग बुक में HSD की छोड़ी गयी मात्रा तथा तेल की भरी गयी मात्रा व कुल मात्रा लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर करने के उपरांत सम्बंधित लोको पायलट से हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करेगा।
4. TFM आरडीआई के प्रकरण में आरडीआई स्टाफ उपरोक्त कार्य के अलावा, फुएलिंग से पूर्व गाड़ी के सभी आवश्यक मद (**ट्रेन नंबर, लोको नंबर, लोको का शेड, लोको पायलट का नाम एवं जारी की गयी HSD की मात्रा**) टेबलेट में सही भरे जावें एवं फुएलिंग उपरांत जारी की जाने वाली फ्यूल स्लिप पर सम्बंधित लोको पायलट के हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें। यदि कोई लोको पायलट फ्यूल इशू डायरी/ फ्यूल स्लिप पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो इसकी रिपोर्ट लिखित में मुख्य लोको निरीक्षक (आरडीआई) को करेंगे एवं मुख्य लोको निरीक्षक इसकी रिपोर्ट मंडल कार्यालय को अतिशीघ्र भेजेंगे।
5. फ्यूल जारीकर्ता आरडीआई स्टाफ फुएलिंग कार्य में अनावश्यक विलम्ब नहीं करें एवं लोको पायलट से व्यव्हार करते समय विनम्र रहे एवं किसी लोको पायलट द्वारा कार्य से सम्बंधित कोई शिकायत हो तो इसकी रिपोर्ट तुरंत मुख्य लोको निरीक्षक (आरडीआई) को सूचित करें एवं आवश्यक हो तो लिखित में देवें।

क्रू नियंत्रकों हेतु :-

1. केवल TFM/RDI के प्रकरण में, प्रत्येक पारी की समाप्ति पर, आउटडोर क्रू नियंत्रक आरडीआई से प्राप्त आपकी पारी की सभी फ्यूल स्लिप्स के दर्ज प्रत्येक ऑनलाइन डाटा को लॉबी पर लगे कंप्यूटर पर ऑटोमेशन (**दिनांक, समय, ट्रेन नंबर, लोको नंबर, लोको का शेड, लोको पायलट का नाम एवं जारी की गयी HSD की मात्रा**) से चेक करेंगे एवं लोको पायलट द्वारा प्रमाणित फ्यूल स्लिप्स को मय क्रू नियंत्रक के कोड सहित प्रत्येक फ्यूल स्लिप पर अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर प्रमाणित करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता की रिपोर्ट अपने CLI/CCC को करेंगे एवं CLI/CCC उचित कार्यवाही के आरडीआई इंचार्ज के संज्ञान में लायेगा एवं इसकी एक प्रति मंडल कार्यालय को भी प्रेषित करेगा।

मुख्य लोको निरीक्षको/आरडीआई इंचार्ज हेतु :-

1. लोको पायलट द्वारा आरडीआई इंचार्ज को प्राप्त किसी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्यवाही करेंगे एवं यथोचित समाधान करेंगे एवं इसकी सूचना लिखित में मंडल कार्यालय को भी भेंजेंगे। आरडीआई इंचार्ज RDI स्टाफ को भरे गये तेल की सही मात्रा को फ्यूल इशू डायरी के साथ -2 फ्यूल ट्रिप कार्ड में इंद्राज करके लोको पायलट के हस्ताक्षर करवाना सुनिश्चित करें।
2. सभी मुख्य लोको निरीक्षक अपने नामित स्टाफ को काउन्सलिंग करें कि इंजन का चार्ज लेते समय फ्यूल ट्रिप कार्ड व मरम्मत पुस्तिका का सही स्थिति में होना तथा फ्यूल पॉइंट पर फ्यूल लेते समय लोको में शेष तेल की मात्रा, भरी गयी मात्रा एवं कुल मात्रा फ्यूल ट्रिप कार्ड, फ्यूल इशू डायरी में हस्ताक्षर सहित इंद्राज करना सुनिश्चित करें।

सम्बंधित सभी मुख्य लोको निरीक्षक, दिनांक 03.05.2024 से 17.05.2024 तक 15 दिन के लिये विशेष काउन्सलिंग अभियान चलाकर अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 18.05.2024 तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।

Rasmia
2/5/24

सहा. मं. यां. इंजी. (शक्ति)
उ.प. रेलवे, जोधपुर